No. FDS-F(1)-1/2020
Government of Himachal Pradesh
Department of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs.

From

The Principal Secretary (F, CS &CA) to the
Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.

To

The Director,
Food Civil Supplies & Consumer Affairs,
Himachal Pradesh, Shimla-171009.

Dated Shimla-171002, the 04th January, 2025.

Subject:- **Regarding report of the committee under section 40 of the National Food Security Act, 2013 on Delivery of foodgrains upto the door step of Fair Price Shops as per Section 24(2)(a) of the NFSA.**

Sir,

I am directed to refer to your letter No FDS-(Door Step Delivery)-2019-I dated 29th November, 2024 on the subject cited above and to convey the approval of the Government for inviting tenders for door step delivery of foodgrains upto the door step of Fair Price Shops as per Section 24(2)(a) of the NFSA is also hereby conveyed subject to the provisions of the HPFR, 2009 to Tender Policy and Tender Documents (Technical Bid and Financial Bids) for door step delivery are enclosed herewith as per Annexure A & B respectively.

You are, therefore, requested to take necessary action accordingly after observing all codal formalities under intimation to this Department.

Yours faithfully,

Sd/-

(Vanita Sood)
Under Secretary (F, CS & CA) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph. No. 0177-2880325)

Director
Dated 07/01/2025

JD(A) JD(Food)/(Supply)

Dy. Dir./Dy. Dir.(L)/ JC (W&M)

DC (F&A) DFSC (HQ)

Supdt
J.D (S)
08/01/25
Sr. Mohit

Annexure –A

Revised Policy for fixation of transportation charges for delivery of foodgrains upto the Door Step of Fair Price Shops as per Section 24 (2)(a) of the National Food Security Act, 2013.

1. Transportation rates for transportation of specified essential commodities (including unloading at FPS) from HPSCSC Wholesale Godowns to Fair Price Shops shall be fixed through tender**. The tender shall be invited online/ through GeM portal by the District Controller, FCS&CA through the Deputy Commissioner from each HPSCSC godown to various Fair Price Shops attached with it.** The tenders shall be opened by a Committee chaired by the Deputy Commissioner concerned or by his representative not below the rank of Additional Deputy Commissioner/ Additional District Magistrate duly authorized by him and consisting of District Controller, FCS&CA, Area Manager, HPSCSC and Assistant Registrar, Cooperative Societies. **The Deputy Commissioner concerned may invite any other officer as member from the district as per the requirement of the tender.**

2. The transportation rates from HPSCSC wholesale Godown to Fair Price Shops shall be approved by the Deputy Commissioner concerned **on per Quintal per KM basis.** The distance of 8KM from Wholesale Godown to Fair Price Shops will be considered as local area and for Fair Price Shops falling in this area**, rate of 8 KM (rate per quintal per KM x 8) will be applicable. Above 8 KM, rate shall be per quintal per kilometer.**

3. **No flour miller or fair price shop holder, nor their family members (*Spouse and married or unmarried children*) shall directly or indirectly participate in tender for Door Step Delivery.**

4. While inviting tender, the District Controller, FCS&CA concerned shall provide list of Fair Price Shops alongwith the entitlement of specified essential commodities in the tender **mentioning the distance clearly by Road, by Mules or by Head load, whichever is applicable and bidder shall quote single rate per quintal per KM keeping in view all the factors.**

5. **The transportation rates so finalized shall not be more than 5% of previous rates, otherwise tender shall be re-invited, although it may be less than previous rate.**

6. The tender will be valid for 1 year and the approved contractor will have to continue to work till next tender is finalized. **The process for tender will be started on or before 7th February every year, so that transportation rates may be finalized well before the beginning of the next financial year.**

7. **The vehicles engaged in the transportation of foodgrains under door step delivery shall be equipped with GPS (Global Positioning System)/ VTS (Vehicle Tracking System) and the successful bidder shall share the credentials of GPS/ VTS with the Department and HP State Civil Supplies Corporation. Three types of credentials shall be created and shall be shared with the department, which will be utilized by the Directorate, District Controllers concerned and the Corporation through Area Managers concerned.**

Annexure-B

Technical Bid

कमाँकः–
हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले,
...................जिला ....।

निविदा सूचना

वर्ष ....अथवा माह .... से ....तक की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के थोक बिक्री केन्द्रों/गोदाम से उचित मूल्य की दुकानों तक विनिर्दिष्ट वस्तुओं के परिवहन/ढुलान हेतु ऑनलाईन निविदा आमन्त्रित की जाती है, जो दिनांक ....को ....
..बजे तक आनलाईन पोर्टल पर अपलोड हो जानी चाहिए तथा प्राप्त निविदायें दिनांक ....को सांय.................बजे निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के सामने उपायुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि/ अधिकारी के सम्मुख उनके कार्यालय में खोली जाएंगी ।

विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के परिवहन/ढुलान कार्य हेतु विवरण :–

जहां से	**जहां के लिए**	**थोक गोदाम से उचित मूल्य की दुकानों तक दूरी**				
हि0प्र0 रा0ना0आ0 निगम, थोक गोदाम का नाम	उचित मूल्य की दुकान का नाम	परिवहन सडक मार्ग द्वारा	हैड लोड (यदि कोई है)	खच्चर द्वारा (यदि कोई है)	उतराई	परिवहन दर (सभी कर सहित) बिना लदाई एवं तुलाई के (प्रति क्विंटल प्रति कि0मी0) एक ही दर

निविदा की शर्तें निम्न प्रकार से हैं :–

1. **उपरोक्त कार्य की अनुमानित कीमत मू0............ है।**
2. **निविदा आनलाईन भरी जाएगी।** कोई भी सशर्त (conditional) निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी और न ही कोई निविदा डाक, टेलिफोन, तार, ईमेल, व फैक्स द्वारा स्वीकार की जाएगी।
3. **कोई भी आटा मिल/ चक्की मालिक अथवा उचित मूल्य की दुकान धारक या उनके परिवार के सदस्य (पति/ पत्नि या विवाहित/ अविवाहित बच्चे) निविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग नही लेंगे।**

4. निर्धारित दिनांक व समय के उपरान्त कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

5. प्रत्येक निविदादाता को अपनी निविदा के साथ अपनी पहचान व पते (Proof of address & Proof of Identity) सम्बन्धी दस्तावेज लगाने होंगे । इन दोनो दस्तावेजो के बिना निविदा रदद् मानी जाएगी ।

6. निविदाऐं दो तरह की होर्गी। पहली तकनीकी निविदा **(Technical Bid)** तथा दूसरी वित्तीय निविदा **(Financial Bid)**, जोकि निविदाता द्वारा ऑनलाइन भरी जाएंगी। **Technical Bid में सम्बन्धित दस्तावेज़ पी. डी. एफ. (PDF) Form में तथा Financial Bid में मूल्य/दर सभी करों सहित BOQ (Bill of Quantities) में Excel फारमेट में अपलोड करनी होगी।**

7. हि0प्र0रा0ना0आ0नि0 थोक गोदाम से उचित मूल्य की दुकानों तक परिवहन दरें संबंधित उपायुक्त द्वारा **प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल** के आधार पर अनुमोदित की जाएंगी। थोक गोदाम से उचित मूल्य की दुकानों तक 8 कि0मी0 की दूरी को स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा **तथा इस क्षेत्र में आने वाली उचित मूल्य की दुकानों के लिए 8 कि0मी0 की दर (प्रति क्विंटल प्रति कि0मी0 x 8) लागू होगी। 8 कि0मी0 से अधिक दूरी के लिएदर प्रति क्विंटल प्रति कि0मी0 के आधार पर अनुमोदित की जाएगी।**

8. **थोक गोदाम के साथ सम्बद्ध उचित मूल्य की दुकानों तक की दूरी (सडक मार्ग द्वारा, खच्चर द्वारा या हैड लोड, जो भी लागू हो) संलग्न की गई है। निविदादाता को उक्त सभी उचित मूल्य की दूकानों तक दूरी को ध्यान में रखते हुए एक ही दर भरनी होगी तथा इस दर पर निविदादाता को सभी उचित मूल्य की दूकानों तक विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुऐं पहुचानी होगी।**

9. **परिवहन दरें पिछ्ली दरों से 5 प्रतिशत से अधिक नही होगी अन्यथा निविदा पुनः आमंत्रित की जाएगी हालांकि यह पिछ्ली दरों से कम हो सकती है।**

10. L-1 का निर्धारण **निविदादाताओं द्वारा भरी गई न्यूनतम दरों के आधार पर किया जाएगा।**

11. **निविदादाता द्वारा आवेदन फीस मु0 500/– (पांच सौ रूपए) सरकारी कोष में मुख्य शीर्ष 1456–00–800–01– MISC.RECEIPTS, ऑनलाईन/ ऑफलाईन माध्यम से जमा करवाने के उपरान्त चालान/ रसीद की प्रति अपलोड करनी अनिवार्य होगी या Demand Draft जो कि जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के नाम पर बना हो, के रूप में जमा करवाई जा सकती है तथा Demand Draft, Physical Form में निर्धारित अवधि तक जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले .... के कार्यालय मे पहुंच जाना चाहिए। Demand Draft की प्रति पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

12. निविदा हेतु धरोहर राशि(Earnest Money) मु0–––––(**कुल अनुमानित कीमत की पांच प्रतिशत) बैंक ड्राफट (Account Payee) के माध्यम से जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के पदनाम से बनवाकर Physical Form में जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय में निर्धारित समय तक जमा करवाना होगा तथा Demand Draft की प्रति पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है,** अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

13. सफल निविदादाता को **कार्य की कुल अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत, प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी के रूप में** जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले........ के पदनाम से बनवाकर एक सप्ताह के भीतर सम्बंधित जिला नियन्त्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय मे जमा करवाना अनिवार्य होगी **तथा क्षेत्रीय**

प्रबंधक, हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के साथ 15 दिनों के भीतर अनुबन्ध करना होगा।

14. **प्रतिभूति राशि का विमोचन, वर्ष.................... के लेखों का लेखा परीक्षण होने के पश्चात् किया जाएगा । यदि उनसे किसी प्रकार की वसूली निकलती हैं तो उसकी वसूली प्रतिभूति राशि में से की जाएगी ।**

15. **उपायुक्त को इस निविदा को बिना कारण बताए रद्‌द करने या पुनः आमन्त्रित करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।**

16. **थोक बिक्री केन्द्रों से उचित मूल्य की दुकान के लिए गन्दम/ आटा, चावल, तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के ढुलान दरें प्रति क्विंटल प्रति कि0मी0 सेवा शुल्क सहित (यदि देय हो) शुद्ध भार के आधार पर होंगी।**

17. ढुलान के लिए दिए गए खाद्यान्न को गन्तव्य स्थान पर उसी दिन या अगले दिन तक पहुंचाना होगा । यदि रास्ते में किसी कारणवश बाधा आती है, उस स्थिति में तुरन्त उप मण्डलाधिकारी/ तहसीलदार/ जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले/क्षेत्रीय प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति निगम/ क्षेत्रीय निरीक्षक को सूचित करना अनिवार्य होगा । निर्धारित तिथि के भीतर खाद्यान्न न पहुंचाने के लिए परिवहन ठेकेदार से विलम्ब शुल्क (Demurrage charges) खाद्यान्न बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत वसूल किया जाएगा।

18. सफल निविदादाता गन्दम/ आटा, चावल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को गंतव्य स्थान पर सुरक्षित पंहुचाने के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा तथा सम्बन्धित उचित मूल्य की दुकानों पर सुरक्षित पहुंचाने के उपरान्त उचित मूल्य की दुकानधारक की पूर्ण हस्ताक्षरित रसीद उनकी मोहर के साथ तिथि डलवाकर बिलों के साथ संलग्न करके भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा ।

19. **सफल निविदादाता को खाद्यान्नों के ढुलान मे लगाई गई गाडियों पर GPS (Global Positioning System)/ VTS (Vehicle Tracking System) अनिवार्य रूप से लगाना होगा तथा Vehicle Tracking से सम्बन्धित**

Login/ Data/ API विभाग तथा हि0 प्र0 राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के साथ सांझा करने होंगे। तीन प्रकार के क्रेडेंशियल बनाए जाएंगे और विभाग के साथ सांझा किए जाएंगे, जिनका उपयोग निदेशालय, सम्बंधित जिला नियंत्रक और निगम द्वारा संबंधित क्षेत्र प्रबंधकों के माध्यम से किया जाएगा।

20. यदि सफल निविदादाता प्रतिभूति राशि एवं ईकरारनामा **15 दिनों** के भीतर क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0प्र0 राज्य आपूर्ति निगम को प्रस्तुत नहीं करेगा तो उनके द्वारा जमा धरोहर राशि (Earnest Money) सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।

21. सफल निविदादाता यदि कार्य करने में असमर्थ रहता हैं या बीच में ही कार्य छोड़ कर चला जाता हैं तो उसकी प्रतिभूति राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी व अगले स्थान पर रहने वाले निविदादाता को L-1 दरों पर कार्य आबंटित किया जा सकता है ।

22. सफल निविदादाता को बिलों के भुगतान करते समय नियमानुसार जो भी कर देय हों, की कटौती कर ली जाएगी ।

23. यह निविदा एक वर्ष के लिए मान्य होगी। अनुमोदित ठेकेदार को इन दरों व शर्तो पर तब तक के लिए कार्य करते रहना होगा जब तक नई दरें पुनः अनुमोदित नही होती ।

24. **निविदा का समय समाप्त होने के बाद और नई निविदा को अन्तिम रूप दिए जाने से पहले कार्य कर रहे ठेकेदार को अधिकतम 3 महीने तक कार्य करने हेतु बढौतरी सम्बंधित कमेटी द्वारा दी जाएगी। तदोपरान्त विशेष परिस्थिति में बढौतरी निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हि0प्र0 द्वारा दी जाएगी। यह बढौतरी सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा ठेकेदार के पक्ष में जारी किए गये कार्य और आचरण प्रमाण पत्र के आधार पर जिला नियंत्रक की अनुशंसा उपरान्त ही दी जाएगी।**

25. परिवहन निविदादाताया उनके ऐजेन्टों द्वारा सरकारी खाद्यान्न उन्हीं कर्मचारियों को सौंपा जाएगा जिन्हें सम्बन्धित जिला नियन्त्रक द्वारा

प्राधिकृत किया गया हो अन्यथा गलत डिलिवरी के लिए या रास्ते में आई किसी प्रकार की कमी के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेंवार होगा।

26. यदि रास्ते में चोरी, आग, बर्फ या अन्य कारणों से नुकसान होता है तो उसके लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा तथा नुकसान की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य पर 50 प्रतिशत सरचार्ज सहित या स्थल मूल्य या बाजार मूल्य लगाने के उपरान्त जो भी राशि अधिक होगी उसकी वसूली ठेकेदार से की जाएगी ।

27. परिवहन ठेकेदार को सम्बन्धित जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले/ निरीक्षक,खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले/ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारीयों/ कर्मचारियों के दिशा–निर्देशानुसार कार्य करना होगा ।

28. निविदादाता के साथ कम से कम 5 ट्रक/ यूटिलिटी सम्बद्ध होने चाहिए। **निविदादाता को ट्रक/ यूटिलिटी पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) की फोटो प्रतियां पार्टल अपलोड करना अनिवार्य होगा** तथा सबंधित ट्रक/यूटिलिटी के मालिकों से Notarized Affidavits भी अपलोड करना होगा कि ट्रक की मांग होने पर सफल निविदादाता को मांगानुसार ट्रक उपलब्ध करवाएगें । ट्रक यूनियन को सम्बंद्ध ट्रक के पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) (ट्रक मालिकों के नाम के साथ) अपलोड करने होगे। यदि एक निविदादाता एक से अधिक गोदाम के निविदा प्रस्तुत करता है, तो उसे प्रत्येक गोदाम हेतु अलग–अलग 5 ट्रक/यूटिलिटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) अपलोड करना होगा। **सम्बंधित दस्तावेज आनलाइन पोर्टल (https://hptender.gov.in) में अपलोड करने होगे।**

29. हि0प्र0रा0ना0आपूर्ति निगम के ट्रकों को इस कार्य हेतु प्राथमिकता दी जाएगी । परिवहन ठेकेदार को निगम के ट्रकों द्वारा खाद्यान्नों के ढुलान पर किसी प्रकार की आपत्ति का अधिकार नहीं होंगा ।

30. परिवहन दरों का अन्तिम अनुमोदन उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। यदि निविदा अवधि के दौरान निविदा शर्तों में कोई विवाद उत्पन्न होता है

तो मामला सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हि०प्र० सरकार, शिमला को मध्यस्थता हेतु भेजा जाएगा जिनका निर्णय अन्तिम तथा दोनों पक्षों पर बाध्य होगा।

31. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग व हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम दैनिक तौर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने हेतु बाध्य नहीं होगा ।

32. परिवहन ठेकेदार को सम्बन्धित हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों की मांग के अनुसार ट्रक/यूटिलिटी उपलब्ध न करवाने अथवा निविदा की अन्य शर्तो की उल्लघंना की स्थिति में उपायुक्त से पारित आदेश के अनुसार प्रतिभूति राशि (Security amount) को एकमुश्त जब्त कर लिया जाएगा तथा भविष्य के लिए उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है । इस स्थिति में परिवहन तथा उतराई का कार्य दूसरी न्यूनतम भाडा दर के निविदादाता को L-1 दरों पर आबंटित कर दिया जाएगा।

33. सफल ठेकेदार को ढुलाई हेतु गन्दम, चावल, आटा व अन्य आवश्यक वस्तुऐं नैट वजन में सौंपी जाएंगी तथा उसके परिवहन/ ढुलाई करने का भुगतान गन्तव्य स्थान पर उसे सौंपे गए सभी खाद्यान्नों को पहुंचाने के उपरान्त नैट वजन पर भाडे का भुगतान जांच पडताल के उपरान्त किया जाएगा।

34. **सभी भुगतान ई–भुगतान प्रणाली द्वारा किए जाएंगे।**

35. **उपरोक्त किसी भी नियम व शर्त के उल्लंघन के मामले में उपायुक्त के पास बिना कोई कारण बताए कार्य आदेश को रदद् करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उस स्थिति में विभाग द्वारा कुछ भी देय नही होगा।**

***

Revised Form of Financial Bid for Transportation Work Under Door Step Delivery

विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के परिवहन/उतराई कार्य हेतु निविदा का विवरण :–

निविदाता का नाम व पताः...

क्र.स	जहां से	जहां के लिए	थोक गोदाम से उचित मूल्य की दुकानों तक की दूरी				परिवहन दर (सभी करों सहित) बिना लदाई एवं तुलाई के (प्रति क्विंटल प्रति कि०मी०) एक ही दर
			परिवहन सडक मार्ग द्वारा	खच्चर द्वारा (यदि कोई है)	हैड लोड (यदि कोई है)	उतराई	
1.	हि०प्र० रा०ना०आ० निगम, थोक गोदाम का नाम....	उचित मूल्य की दुकान का नाम					

नाम / हस्ताक्षर
(पूर्ण पते सहित)

Signed by
Ram Kumar Gautam
Date: 29-11-2024 17:04:46

Ram Kumar Gautam, IAS
Director, Food Civil Supplies &
Consumer Affairs, H.P. Shimla-9
Phone No. 0177-2623749